न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 276 / 2024 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
आत्माराम पुत्र अर्जुनराम जाति मेघवाल, निवासी हड़वा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. अकलों देवी पत्नी सिदाराम 2. ओम प्रकाश पुत्र सिदाराम 3. चैनाराम पुत्र सिदाराम 4. मगाराम पुत्र सिदाराम 5. लक्ष्मीदेवी पत्नी सिदाराम 6. केशराराम पुत्र चौखाराम 7. डाउराम पुत्र चौखाराम 8. पुरो देवी पत्नी चौखाराम 9. भोजाराम पुत्र चौखाराम 10. हमीराराम पुत्र चौखाराम 11. अनुदेवी पत्नी गोरधनराम 12. टीमों देवी पत्नी केवलाराम 13. नरेन्द्रकुमार पुत्र केवलाराम 14. मोतीराम पुत्र केवलाराम जाति मेघवाल, निवासी हड़वा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 15. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री भगवानदास गोयल।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 26.05.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत मौजा हड़वा, तहसील शिव के मूल खसरा नम्बर 205, 207 थे, जिसका पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति विभाजन होने से वर्तमान में प्रार्थी के खसरा नम्बर 205, 207 रकबा क्रमशः 3.4074, 0.8256 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खसरा नम्बर 657 / 205, 658 / 207 रकबा क्रमशः 3.4074, 0.8175 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 से 10 के खसरा नम्बर 659 / 205, 660 / 207 रकबा क्रमशः 3.4074, 0.8175 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 11 से 14 के खसरा नम्बर 655 / 205, 656 / 207 रकबा क्रमशः 3.4074, 0.8256 हैक्टेयर कायम किये गये। उक्त सहमति विभाजन का राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर रहवासी ढाणियां प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं ल[illegible] में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के [illegible] के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान [illegible] मौकिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामील करवाई गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.23 13:58:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned with OKEN Scanner

गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने से मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिसे उभयपक्ष प्रभावित खातेदारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान् एवं समस्त प्रभावित खातेदारान् द्वारा विवादित आराजी के मूल खसरा नम्बर 205 व 207 की वर्तमान तरमीम निरस्त कर मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हडवा, तहसील शिव में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी के मूल खसरा नम्बर 205 व 207 की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.23 13:58:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner